

PMSYM: ई-श्रम कार्ड होल्डर्स को मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन लाभ! करना होगा यह छोटा सा काम

e-Shram Card: ई-श्रम कार्ड धारक (e-shram card Holders) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं. एक समय के बाद कामगारों की उम्र होने पर उनके आमदनी का साधन खत्म हो जाता है.



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

e-Shram Card Holders get Benefit of PMSYM: कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही देश में असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) से जुड़े लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. ऐसे में सरकार ने कामगारों की आर्थिक मदद (Financial Help) के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम लेकर आती रहती है. ऐसे में सरकार ने इन कामगारों की मदद के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है. उनमें से एक सबसे बड़ी योजना का नाम है ई-श्रम योजना (e-shram card yojana). कामगारों की ही मदद के लिए सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana).

ऐसे में ई-श्रम कार्ड धारक (e-shram card Holders) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं. एक समय के बाद कामगारों की उम्र होने पर उनके आमदनी का साधन खत्म हो जाता है. ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है. तो चलिए जानते हैं कि किस तरह ई श्रम कार्ड धारक 3,000 रुपये पेंशन (Pension Scheme for Unorganised Sector Workers) प्राप्त कर सकता है-

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता-

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ ई-श्रम कार्ड धारक उठा सकते हैं अगर उनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है. इसके साथ ही उनकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए. वहीं 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. इस योजना में आप निवेश करके 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही वह व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो. अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं जो जल्द से जल्द इस योजना में निवेश करें.

इस योजना में करना होगा इतना निवेश-

अगर कोई ई-श्रम कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह इसमें निवेश कर सकता है. लेकिन, आपको इस पेंशन स्कीम (Pension Schemes) में सालाना कितना निवेश करना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है. अगर आपकी उम्र निवेश के समय 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे. 29 साल की उम्र में 100 रुपये और 40 साल की उम्र में 200 हर महीने जमा करने होंगे. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.